

पत्र संख्या : ७ब/४७०१ योजना ज०सं०-१०/२०१८ । ८३

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

अरुण कुमार सिंह
उपर मुख्य सचिव।

सेवा में,

मुख्य अभियंता, देवघर ;
संबंधित अधीक्षण अभियंता/संबंधित कार्यपालक अभियंता—सह—निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी।
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

राँची, दिनांक: २२/०२/१९

विषय :- माँग संख्या—४९—जल संसाधन विभाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष—४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय, उप—मुख्य शीर्ष—८०—सामान्य, लघु शीर्ष—८००—अन्य व्यय, उप शीर्ष—४६—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन विस्तृत शीर्ष—०५—निर्माण, ४५—निर्माण कार्य विपत्र कोड—४९S470180800460545 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में व्यय हेतु निधि का आवंटन।

प्रसंग :- प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या— ६५/१८—१९, दिनांक १३.०२.१९, २८/१५—१६, दिनांक—१०.०९.१५ एवं २६/१५—१६, दिनांक २०.०८.१५

महाशय,

वित्तीय वर्ष २०१८—१९ में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय के अन्तर्गत परिशिष्ट १ में दर्शाये गये लघु शीर्ष/उप शीर्ष के अधीन अंकित कार्यालय को आवंटन संसूचित किया जाता है :-

| क्र. | माँग संख्या/मुख्य शीर्ष/उप मुख्य शीर्ष | लघु शीर्ष/उप शीर्ष | विस्तृत शीर्ष/विपत्र कोड | आवंटित राशि (लाख रु. में) |
|------|---|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | ४९—जल संसाधन विभाग/ ४७०१—मध्यम सिंचाई पर पूँजीगत परिव्यय/ ८०—सामान्य/ | ८००—अन्य व्यय/ ४६—सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन | ०५—निर्माण/ ४५—निर्माण कार्य विपत्र कोड—४९S470180800460545 | १.३८ |

आवंटित राशि —₹ एक लाख अड़तीस हजार मात्र।

- आवंटित राशि वर्ष २०१८—१९ के संशोधित बजट उपबंध राशि ₹. १२००.०० लाख (बारह करोड़) मात्र के अन्तर्गत है।
- आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक २५६१ वि. (२) दिनांक १७.०४.९८, १८०० (वि.) दि. १५.०७.२००३, १३६३ दि. ०९.०५.२०१६ एवं २७४७/वि., दिनांक—१९.०९.२०१६ के आलोक में होगा।
- आवंटित राशि का व्यय प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अन्तर्गत स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप किया जायेगा।
- संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।
- राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र/चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र/चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र/चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र/चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्राणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य, रूप से संलग्न की जायेगी।

३/१६

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि०)


३/०२/१८
(रमेश कुमार दूबे)
विशेष सचिव

(हेमन्त कुमार)
अभियंता प्रमुख—१

7. सरकारी नियम/अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।
8. राशि की निकासी कर उसे चालू/बचत खाता में नहीं रखा जाय।
9. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।
10. जिस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगे। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगे कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।
11. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।
12. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।
13. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका इकाईवार प्रत्यर्पण 15 मार्च, 2019 तक निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी इकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक प्रत्यर्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC No सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है जिसका Access no परिशिष्ट-1 के स्तंभ-11 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (<http://www.wrdjharkhand.nic.in>) पर भी उपलब्ध है।


अनुलग्नक—यथोक्त्।


 (अरुण कुमार सिंह) 21.2.19
 अपर मुख्य सचिव

ज्ञापांक :— 18३

रॉची, दिनांक :— 22/02/19


प्रतिलिपि :— महालेखाकार (लेखा एवं हक.) झारखण्ड पो. — हिनू रॉची/कोषागार पदाधिकारी, कार्यवाई हेतु प्रेषित।
 अनुलग्नक—यथोक्त्।


 (अरुण कुमार सिंह) 21.2.19
 अपर मुख्य सचिव


ज्ञापांक :— 18३

रॉची, दिनांक :— 22/02/19

प्रतिलिपि :— अपर मुख्य सचिव योजना-सह-वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि.)/उप सचिव (अभि.), जल संसाधन विभाग/प्रशास्त्रा-7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/अपर मुख्य सचिव के प्रधान आप सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।
 अनुलग्नक—यथोक्त्।


 (राजेन्द्र प्रसाद)
 उप सचिव (अभि.)


 (रमेश कुमार दूबे)
 विशेष सचिव


 (हेमन्त कुमार)
 अभियंता प्रमुख-1

 (अरुण कुमार सिंह) 21.2.19
 अपर मुख्य सचिव

विभागीय पत्रांक 183 दिनांक 22/02/19 का अनुलग्नक

परिशिष्ट -1

मोँग संख्या-49-जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष-4701 मध्यम सिंचाई पर पूर्जीगत परिव्यय,

उप-मुख्य शीर्ष-80-सामान्य,

लघु शीर्ष-800-अन्य व्यय

उप शीर्ष - 46- सिंचाई योजनाओं का पुनर्स्थापन ।

विस्तृत शीर्ष-05-निर्माण, 45-निर्माण कार्य, 49S470180800460545

वित्तीय वर्ष 2018-19 में संसाधित बजट उपरबंध 1200.00 लाख (बारह करोड़) रुपये मात्र।

(राशि लाख ₹ में)

| क्र. | प्रमङ्गल का नाम | मुख्य अधियंता | योजना का नाम | प्रशासनिक स्वीकृति की | | मार्च 2018 तक का व्यय | वित्तीय वर्ष 2018-19 में आदान्तर | | | On-line Allotment Access No. | अस्युक्ति |
|------|---------------------------------|---------------|--|--|---------|-----------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--|-----------|
| | | | | प्रसंग | राशि | | पूर्ति का आवंतन | वर्तमान आवंतन | कुल आवंतित राशि | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | सिंचाई प्रमङ्गल, (DMKIRR002) | देवधर | गोड्डा जिलान्तर्गत हरण वीयर (दक्षिण एवं उत्तर) एवं उसकी नितरण प्रणालियों के पुनर्स्थापन कार्य हेतु | 26 / 15-16 प्र.ख्ती। दिनांक 20.08.2015 Online AA-14/10.24.08. 2015 | 964.030 | 704.21 | 33.42000 -24.62 | 84.76 | 55817 | हरण वीयर योजना का पुनर्स्थापन कार्य। Construction of Aquaduct at Ch 193 of Maheshpur distributary of Harna Weir Scheme. | |
| | | | दुमका जिलान्तर्गत पगला वीयर योजना के उत्तरस्थापन कार्य हेतु | 28 / 15-16 प्र.ख्ती। दिनांक 10.09.2015 Online AA-15/19/14.09.2015, 65/18-19 प्र. ख्ती। दिनांक - 13.02.2019 Online AA-211 / 13.02.19. | 446.140 | 318.46 | 82.14000 26.00 | 108.14 94560 | | पगला वीयर योजना का पुनर्स्थापन कार्य। | |
| | | | | | योग | 191.52000 | 1.38 | 192.90 | | | |

आवंटित राशि -₹ एक लाख अड्डीस हजार मात्र।

१८३
(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अमि.)

रमेश कुमार देव
(रमेश कुमार देव)
विशेष सचिव

(हमन्त कुमार)
अधियंता प्रमुख-1

Kumar
(अल्पन कुमार सिंह) २८. २. २०१९
आपर मुख्य सचिव